Note : The Central Civil Service (Extraordinary Pension) Rules, 1939 as amended upto the 7th August, 1987 were published by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners Welfare and the said rules were further amended *vide*

1. S.O No.1487(E) dated the 30th December, 2003
2. S.O No.410(E) dated the 15th February 2011
3. G.S.R No. 96 dated the 20th December, 2013.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 मई, 2017

सा.का.नि. 204.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, स्टाफ कार ड्राइवर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और **वेतन मैट्रिक्स में स्तर** वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो **उक्त/पूर्वोक्त** अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-।)	**172*** (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह “ग”, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200 रूपए)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
प्रोन्नति	**प्रोन्नतिः** निम्नलिखित पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसाय परीक्षण के उत्तीर्ण रहने के कारण अध्यधीन ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-2) जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। (i) सड़क के संकेतों का ज्ञान; (ii) यानों के अतिरिक्त पुर्जों की पहचान करने के लिए योग्यता; (iii) यानों के टायरों को हटाने और फिट करने की योग्यता; (iv) हिन्दी और अंग्रेजी भाषा और संख्याओं को पढ़ने और लिखने की योग्यता; **प्रशिक्षणः** राष्ट्रीय राजीव गांधी भूमिगत जल प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से प्रचालन और यानों के अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षण एक सप्ताह।	समूह ‘ग’ विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी**:-** 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड **-अध्यक्ष** 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड **–सदस्य** 3. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड **-सदस्य**	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)	**148*** (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 रूपए)	अचयन	35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण:-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन; (ii) भारी वाहनों के लिए चालन अनुज्ञप्ति रखता हो; (iii) भारी वाहन के चालन में आठ वर्ष का अनुभव; और मोटर यांत्रिकी का ज्ञान।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

10	11	12	13
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नतिः** निम्नलिखित पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसाय परीक्षण के उत्तीर्ण रहने के अध्यधीन ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। (i) सड़क के संकेतों का ज्ञान; (ii) यानों के अतिरिक्त पुर्जों की पहचान; (iii) व्यावहारिक चालन परीक्षण; (iv) यानों के टायरों को हटाने और फिट करने की योग्यता; (v) हिन्दी और अंग्रेजी भाषा और संख्याओं को पढ़ने और लिखने की योग्यता; **प्रशिक्षणः** राजीव गांधी भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - **अध्यक्ष** 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – **सदस्य** 3. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – **सदस्य** समुह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - **अध्यक्ष** 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – **सदस्य**	लागू नहीं होता।

	से निम्नलिखित विषय पर दो सप्ताहों का प्रशिक्षण- (i) सड़क पर सुरक्षा (ii) यानों के प्रचालन और अनुरक्षण	3. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – **सदस्य**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	**148*** (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 रूपए)	अचयन	27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन; (ii) भारी वाहनों के लिए चालन अनुज्ञप्ति रखते हों; (iii) भारी वाहन के चालन का तीन वर्ष का अनुभव हो; (iv) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान; और (v) हिन्दी और अंग्रेजी भाषा और संख्याओं को पढ़ने और लिखने की योग्यता।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा अस्सी प्रतिशत और प्रोन्नति द्वारा बीस प्रतिशत जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नतिः** ऐसे क्लीनर जो, श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो और पाठ्यक्रम के आधार पर भारी वाहनों के चालन परीक्षण के आधार पर भारी वाहन के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता होः- (i) सड़क के संकेतों का ज्ञान;	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - **अध्यक्ष**	लागू नहीं होता।

	(ii) यानों के अतिरिक्त पुर्जों की पहचान की योग्यता; (iii) यानों के टायरों को हटाने और फिट करने की योग्यता; (iv) हिन्दी और अंग्रेजी भाषा और संख्याओं को पढ़ने और लिखने की योग्यता; प्रशिक्षणः राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान से यानों के प्रचालन और अनुरक्षण पर अगले उच्चतर पद के संबंध में प्रोन्नति के लिए सड़क पर सुरक्षा पर प्रवेश स्तर प्रशिक्षण में दो सप्ताह और मध्य कैरियर में प्रशिक्षण मध्य कैरियर एक सप्ताह।	2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – **सदस्य** 3. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – **सदस्य** समुह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - **अध्यक्ष** 2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – **सदस्य** 3. कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड – **सदस्य**	

[फा. सं. 23/15/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

रामेश्वर नाथ दीक्षित, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 24th May, 2017

G.S.R. 204.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Staff Car Drivers, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Drivers, Group 'C' in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, , namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Staff Car Drivers, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix**.—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Grade-I).	172 * (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), non-Gazetted, Ministerial.	Level-5 (Rs.29200) in the pay matrix.	Non-selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various method.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Grade-II) with five years regular service in the grade subject to passing of a Trade test based on the following Syllabus:-- (i) knowledge of Road Signs; (ii) ability for identification of spare parts of vehicles; (iii) ability to remove and fitting of tyres of vehicles; (iv) ability to read and write Hindi and English language and numbers. Training: One week training for operation and maintenance of vehicles from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur.	**Group'C' Departmental Promotion Committee, consisting of:--** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman. 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member. 3. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver (Grade-II)	148 * (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs.25500) in the pay matrix.	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35 years' (Relaxable for the Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not for those in Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Division and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2.—In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(i)Matriculation from a recognised Board. (ii)possess driving licence for Heavy Vehicles. (iii)Eight years experience of driving Heavy Vehicle; and knowledge of motor mechanism.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) with eight years regular service in the grade subject to passing of a Trade test based on the following Syllabus:-- (i) ability for knowledge of Road Signs; (ii) ability for identification of spare parts of vehicles; (iii) practical driving test; (iv) ability to remove and fitting of tyres of vehicles; and (v) ability to read and write Hindi and English language and numbers. Training: Two weeks training on the following subject from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur. (i) Safety on Road (ii) Operation and maintenance of vehicles.	Group'C' Departmental Promotion Committee consisting of:-- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman. 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member. 3. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member. Group'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman. 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member. 3. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	148* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group' 'C'), non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 (Rs.19900) in the pay matrix.	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note** 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not for those in Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Division and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) Matriculation from a recognised Board; (ii) possess driving licence for Heavy vehicle; (iii) three years experience of driving Heavy Vehicle; (iv) knowledge of motor mechanism; and (v) ability to read and write Hindi or English language and numbers.	Not applicable.	Two years for direct recruits.

(10)	(11)	(12)	(13)
Eighty per cent. by direct recruit-ment and twenty per cent. by promotion failing which by direct recruit-ment.	**Promotion:** Cleaners with two years regular service in the grade and possessing a valid motor driving licence for heavy vehicle on the basis of a driving test of heavy vehicles on the basis of syllabus as follows**:-** (i) knowledge of road signs; (ii) ability of identification of Spare parts of vehicles; (iii) remove and fitting of tyres of vehicles. (iv) ability to read and write Hindi and English language and numbers. **Training**: Two weeks induction level training on safety on Road and one week Mid-career training for promotion to next higher post on operation and maintenance of vehicles from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur.	Group'C' Departmental Promotion Committee, consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman. 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member. 3. Executive Engineer, Central Ground Water Board –Member. Group'C' Departmental Confirmation Committee, consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman. 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member. 3. Executive Engineer, Central Ground Water Board –Member.	Not applicable.

[F. No. 23/15/2016-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय]

नई दिल्ली, 5 जून, 2017

सा.का.नि. 205.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतदद्वारा वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी, समूह 'ख' अराजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2016 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामश:-

1. (1) ये नियम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी, समूह 'ख' अराजपत्रित पद, भर्ती (संशोधित) नियम, 2017 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी, समूह 'ख' अराजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2016 को (इसके बाद उक्त नियम के रूप में संबोधित किया जाएगा), नियम 2 के लिए, निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा,

नामश: :-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान में लेवल.– इनके साथ संबद्ध पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान में लेवल इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) एवं (4) के रूप में विनिर्दिष्ट हैं.".

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में –

(क) कॉलम (4) में, –

i) शीर्षक के लिए, निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश: -

"वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान में लेवल.";

ii) प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामश: -

"वेतन मेट्रिक्स में लेवल 6 (35400-112400 रु॰).";

(ख) कॉलम (11) में, -

i) उप शीर्ष 'पदोन्नति' के तहत –

(क) "पे बैंड-1 में, 5200-20200/- रु॰ ग्रेड पे 2400/- रु॰ के साथ" शब्दों, आंकड़ों तथा वर्णों के लिए, "वेतन मेट्रिक्स में लेवल 4 में (25500-81100 रु॰) के शब्दों, आंकड़ों तथा कोष्ठकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) टिप्पण 2 हटा दिया जाएगा;

ii) उप शीर्ष 'प्रतिनियुक्ति' (लघु अवधि कोंट्रेक्ट सहित) के तहत, -

(क) मद (क) में, उप मद (ii) में, "पे बैंड-1 में, 5200-20200/- रु. ग्रेड पे 2800/- रु. के साथ" शब्दों, आंकड़ों तथा वर्णों के लिए, "वेतन मेट्रिक्स में लेवल 5 में (29200-92300 रु॰)" के शब्दों, आंकड़ों तथा कोष्ठकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) टिप्पण 4 हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. ए-50011/12/2016-17/प्रशा.]

अरुण कुमार यादव, निदेशक (हस्तशिल्प)

टिप्पणी : सैद्धांतिक नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 52, दिनांक 30 मार्च, 2016 में भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे।